म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक/वि.जां/2018–57 1455 भोपाल दिनांक 26/10/2018

:– परिपत्र :–

प्रायः यह देखने मे आया है कि मंडी समितियो मे कार्यरत मंडी बोर्ड सेवा के कर्मचारी/अधिकारी तथा आंचलिक कार्यालयों मे पदस्थ कर्मचारियो के राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के अन्तर्गत निलंबन उपरांत मुख्यालय की विभागीय जांच शाखा को प्रतिलिपि या सूचना उपलब्ध नही कराई जाती है, और न ही समय सीमा मे संबंधितो के विरूद्व आरोप पत्र के प्रारूप एवं आरोप से संबंधित सत्यापित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते है। जिसके कारण संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्व समय–सीमा मे आरोप पत्र जारी किये जाने मे कठिनाई होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे ऐसे कर्मचारी/अधिकारी आंचलिक कार्यालय स्तर या मुख्यालय स्तर से निलंबित किये गये हो उसकी सूचना मुख्यालय की विभागीय जांच शाखा को निलंबन के 24 घंटे के भीतर दी जाकर पावती प्राप्त की जावे। साथ ही संबंधित के विरूद्व आरोप पत्र का प्रारूप, अभिकथन विवरण, गवाहो की सूची तथा प्रकरण से संबंधित सत्यापित दस्तावेज निलंबन के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से मुख्यालय की विभागीय जांच शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि समय सीमा मे आरोप पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

2. मुख्यालय की कार्मिक शाखा एवं विभागीय जांच शाखा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में समन्वय कर यह सुनिश्चित करे कि कितने कर्मचारियो/अधिकारियों को निलंबित किया गया है तथा कितने के विरूद्ध आरोप पत्र जारी हो चुके है एवं कितने शेष है। ताकि उनके विरूद्ध समय–सीमा में आरोप–पत्र जारी किये जा सके।

उपरोक्त बिन्दुओ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/वि.जां/2018–57 1456 भोपाल दिनांक 26/10/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– निज सहायक प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2– अपर संचालक मुख्यालय समस्त।
3– प्रमुख अभियंता मुख्यालय।
4– संयुक्त संचालक /अधीक्षण यंत्री मुख्यालय समस्त।
5– संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय समस्त।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल